न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ, जिला–जयपुर

अपील संख्या–06 / 2019

1. राधादेवी पत्नि श्री राधेश्याम आयु लगभग 31 वर्ष
2. कृष्णादेवी पत्नि श्री मुकेश कुमार आयु लगभग 29 वर्ष
3. हेमलतादेवी पत्नि श्री गणेशनारायण आयु लगभग 24 वर्ष
4. आशादेवी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद आयु लगभग 22 वर्ष
5. अन्तरदेवी पत्नि श्री श्रीराम कुम्हार आयु लगभग 21 वर्ष

जातियान कुमावत (कुम्हार), समस्त निवासी ग्राम माथासूला, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

ग्राम पंचायत, माथासूला, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत माथासूला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तरण आदेश संख्या 01 दिनांक 23.02.2019 जो ग्राम पंचायत माथासूला, तहसील जमवारामगढ द्वारा पारित किया गया हैं।

निर्णय

दिनांक–19.09.2019

अपीलार्थीगण की ओर से एक अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। अपील का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार हैः– भूमि खसरा नम्बर 1011 / 3 रकबा 0.1500 हैक्टेयर किस्म आवासीय स्थित ग्राम माथासूला, पटवार हल्का माथासूला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर को जरिए पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 28.09.2018 के आधार पर खरीद की थी, जिसके विक्रयपत्र का पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक जमवारामगढ द्वारा किया गया हैं। जिसका पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरण संख्या 01 भरा जाकर ग्राम पंचायत माथासूला, पटवार हल्का माथासूला के समक्ष तस्दीक हेतू पेश किया, जिसे ग्राम पंचायत माथासूला ने नामान्तरण पृष्ठ पर "पारिवारिक विवाद के कारण" अंकित करते हुए खारिज फरमा दिया। जो ग्राम पंचायत रेस्पोन्डेन्ट ने विधि विधान के तथ्यों की भारी भूल की हैं।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ़

Scanned with CamScanner

ग्राम माथासूला, पटवार हल्का माथासूला, तहसील जमवारागढ में भूमि खसरा नम्बर 1011/3 रकबा 0.1500 हैक्टेयर किस्म आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि पूर्व में खातेदार नरसी पुत्र धन्ना जाति मीना के नाम से दर्ज रिकार्ड रही हैं। जिसका कार्यालय तहसीलदार महोदय जमवारामगढ के द्वारा अपने संपरिवर्तत आदेश क्रमांक/संपरिवर्तन/2018/2374 दिनांक 20.09.2018 के द्वारा आवासीय ईकाई हेतू संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया हैं। जिसके संपरिर्वत का नामान्तरण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका हैं। उक्त भूमि को बाद आवासीय रूपान्तरण होने उपरान्त अपीलार्थीगण ने नरसी पुत्र धन्ना जाति मीना निवासी ग्राम माथासूला, तहसील जमवारामगढ से खरीद किया है जिसके विक्रय–पत्र का पंजीयन कार्यालय उपपंजीयक जमवारामगढ में दिनांक 28.09.2018 को किया गया हैं, तथा कब्जा मौके पर अपीलार्थीगण ने प्राप्त कर लिया था। इसके पश्चात उक्त पंजीकृत विक्रय–पत्र के आधार पर हल्का पटवारी व गिरदावर ने रिपोर्ट कर अपीलार्थीगण के पक्ष में विक्रयपत्र का नामान्तरण संख्या 01 भरकर ग्राम पंचायत माथासूला के समक्ष दिनांक 23.02.2019 को पेश किया। जिसे तत्कालीन सरपंच ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर अपीलार्थीगणो से राजनैतिक द्वेषतावश नामान्तरण संख्या 01 को पारिवारिक विवाद का कारण मानते हुए खारिज करते हुए प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय हैं। जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को अभी हाल ही में राजस्व अभिलेखो की नकले प्राप्त करने पर हुई हैं।

उक्त सम्पत्ति का रूपान्तरण करवाने के लिए पूर्व खातेदार नरसी पुत्र धन्ना मीना के द्वारा ग्राम पंचायत माथासूला से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया था, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि के बाबत स्पष्ट अनापत्ति जाहिर करते हुए एन.ओ.सी. दी थी। बाद रूपान्तरण अपीलार्थीगण ने उक्त सम्पत्ति को जरिए पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर खरीद किया हैं, तथा कब्जा मौके पर प्राप्त कर लिया था, आज भी अपीलार्थीगण मौके पर काबिज है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पारिवारिक वाद–विवाद नही हैं। अपीलार्थीगण की उक्त भूमि तकासमा शुदा भूमि हैं। जिसमें पारिवारिक विवाद का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता हैं। बावजूद इसके सरपंच ग्राम पंचायत माथासूला के द्वारा राजनैतिक द्वेषतावश व आपसी वेमस्यता के चलते अपने क्षैत्राधिकार के बाहर जाकर उक्त प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया हैं, जो निरस्तनीय हैं।

अपीलार्थीगण ने दिनांक 24.06.2019 को हल्का पटवारी माथासूला से नकल जमाबन्दी लेने गया तो जमाबन्दी में अपीलार्थीगण का नाम नही आने पर पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण को बताया कि सरपंच ने तुम्हारे पक्ष में भरे हुए नामान्तरण को अस्वीकार कर दिया हैं, तब अपीलार्थीगणों को नामान्तरण की नकल लेने पर ज्ञात हुआ कि, सरपंच ग्राम पंचायत माथासूला ने अपीलार्थीगण के पक्ष में भरे हुए नामान्तरण को टिप्पणी करते हुए अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार अपीलार्थीगणो को उक्त प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी अन्तिम रूप से दिनांक 24.06.2019 को राजस्व अभिलेखो की नकले प्राप्त करने पर हुई। उक्त प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी नकल प्राप्त करने पर हुई, जिससे अन्दर मियाद अपीलार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की जा रही हैं, एवं अपील पेश करने में जानकारी के अभाव में हुई देरी को क्षम्य करने हेतू पृथक से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 मर्यादा अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा हैं। अपील प्रश्नाधीन आदेश की जानकारी से अन्दर मियाद पेश हैं। रेस्पोडेन्ट को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किये जाने तथा उनको पूर्ण जानकारी होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। जिन्हे विधिक नोटिस देने की आवश्यकता नही हैं।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जमवारामगढ

Scanned with CamScanner

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा पारित प्रश्नाधीन नामान्तरण संख्या 01 आदेश दिनांक 23.02.2019 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की खरीद शुदा भूमि खसरा नम्बर 1011/3 रकबा 0.1500 हैक्टेयर का अपीलान्ट के पक्ष में भरे हुए नामान्तरण संख्या 01 को स्वीकार करने कि आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को प्रदान करने की कृपा करें।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस रेस्पोन्डेन्ट को जारी किये गये। दिनांक 16/8/2019 को उक्त पत्रावली सहायक कलेक्टर जमवारामगढ से स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई थी। दिनांक 27/8/2019 को रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित होने के कारण इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील अपीलार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थीया ने अपनी बहस में प्रस्तुत अपील के कथनों को दोहराते हुए कहा कि प्रश्नाधीन नामान्तरण संख्या 1 दिनांक 23/02/2019 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट की खरीदसुदा भूमि खसरा न. 1011/3 रकबा 0.1500 हैक्टेयर का अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकृत करने के आदेश किये जावे।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर ग्राम पंचायत माथासूला ने नामान्तरण संख्या 1 दिनांक 23/2/2019 को अपीलार्थी के द्वारा खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण न खोल कर नामान्तरण को पारिवारिक विवाद होने के कारण अंकित कर नामान्तरण को खारिज कर दिया जो विधि के सिद्धान्तो के विपरीत है। इसलिए ग्राम पंचायत माथासूला के नामान्तरण संख्या 1 दिनांक 23/2/2019 को खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी के द्वारा खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया जाये।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावें।

पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/09/2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़(जयपुर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.02.27 15:01:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: